



छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 2020 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 6 मार्च, 2020 (फाल्गुन 16, 1941)

समय 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) की धारा 86 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 7-13/2017/32, दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

- (1) श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य, रायपुर जिले की आरंग तहसील के ग्राम भिलाई में निस्तारी भूमि को सी.आर.पी.एफ. हेतु आरक्षित किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (2) श्री दलेश्वर साहू, सदस्य, राजनांदगांव जिले की डोंगरगांव नगर पंचायत में जल आवर्धन योजना पूर्ण न होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (3) श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य, बस्तर संभाग के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने की ओर कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (4) श्री शैलेश पाण्डेय, सदस्य, प्रदेश में कोरोना वायरस से बचने के उपाय किये जाने के संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (5) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा सदस्य, बीजापुर जिले में मलेरिया का प्रकोप होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (6) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, राजधानी रायपुर में महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ उत्पीड़न की घटनाएं होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (7) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, जशपुर जिले के फरसबहार विकासखण्ड की छात्राओं का दैहिक शोषण किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

- (8) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, प्रदेश में धान खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (9) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, प्रदेश में अपहरण की घटनाओं में वृद्धि होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (10) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, प्रदेश में संचालित मिड डे मील योजना में व्याप्त अव्यवस्था की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (11) श्री नारायण चंदेल, सदस्य, जांजगीर-चांपा में धान खरीदी में अनियमितता होने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (12) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, प्रदेश के धान खरीदी केन्द्रों/संग्रहण केन्द्रों में व्याप्त अव्यवस्था की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (13) श्री शिशुपाल सोरी, सदस्य, कांकेर जल आवर्धन योजना पूर्ण नहीं होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (14) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, जांजगीर-चांपा जिले के शासकीय स्कूलों में मध्याह्न भोजन में अनियमितता किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (15) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा तहसील अंतर्गत केएसके महानदी संयंत्र में कार्यरत श्रमिकों को नौकरी से निकाले जाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (16) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, बैकुण्ठपुर-रायगढ़ में अटल आवास योजना के क्रियान्वयन हेतु आवंटित नजूल भूमि के तबादलानामा में अनियमितता किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (17) सर्वश्री अरुण वोरा, केशव प्रसाद चंद्रा, रामकुमार यादव, सदस्य, प्रदेश में शिक्षा के अधिकार के तहत कमजोर वर्ग के बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिये मजबूर होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (18) सर्वश्री नारायण चंदेल, सौरभ सिंह, सदस्य, जांजगीर-चांपा जिले में हैण्डलूम पार्क की स्थापना नहीं होने की ओर ग्रामोद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (19) श्री नारायण चंदेल, सदस्य, जांजगीर-चांपा जिले के केव्हीए विद्युत टॉवर लाइन के नीचे बिना किसी सुरक्षा के हाईलेवल पुल का निर्माण किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (20) श्री शैलेश पाण्डेय, सदस्य, शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को नहीं मिलने की ओर समाज कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

- (21) श्री शैलेश पाण्डेय, सदस्य, बिलासपुर शहर की सीवरेज परियोजना के निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (22) सर्वश्री अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल, सदस्य, जिला धमतरी की राईस मिल के गोदाम में अवैध शराब पकड़ी जाने की ओर वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (23) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, जांजगीर-चांपा जिले की अकलतरा तहसील अंतर्गत केएसके महानदी संयंत्र में निवासरत चीनी नागरिकों का कोरोना वायरस जांच नहीं किये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (24) श्री देवव्रत सिंह, सदस्य, जिला राजनांदगांव तथा बलौदाबाजार की प्राथमिक सेवा सहकारी समिति द्वारा विभिन्न विकास कार्यों में अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (25) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, जांजगीर-चांपा जिले के बलौदा विकासखण्ड अंतर्गत हसदेव बांगो मिनीमाता परियोजना में अनियमितता व्याप्त होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (26) श्री शैलेश पाण्डेय, सदस्य, बिलासपुर अंतर्गत संचालित बालिका गृह में अधीक्षिका द्वारा नाबालिग बालिकाओं को प्रताड़ित किये जाने की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

- (1) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत –
 - (i) ग्राम पकरिया झूलन में हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,
 - (ii) ग्राम बछौद में हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,
 - (iii) ग्राम घाटाद्वारी में हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,
- (2) श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य, बस्तर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मोंगरापाल में हाईस्कूल भवन निर्माण करने,
- (3) श्री रामकुमार यादव, सदस्य, जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत–
 - (i) ग्राम पंचायत मालखरौदा में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण करने,
 - (ii) ग्राम चारपारा में हाईस्कूल खोलने,
 - (iii) ग्राम जमगहन में उपस्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा
- (4) श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य, पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भुईगांव में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

5. अशासकीय संकल्प

निर्धारित समय
1 घंटा 15 मिनट (1)

श्री मोहन मरकाम, सदस्य, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत गोठान को अनुमेय कार्य सम्मिलित कर पशुओं की देखरेख करने वाले चरवाहों को मजदूरी भुगतान किये जाने का प्रावधान किया जाय।"

30 मिनट (2)

श्री सौरभ सिंह, सदस्य, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "प्रदेश के सीमेंट उद्योगों द्वारा प्रदेश के बाहर क्लिंकर न भेजा जाय।"

45 मिनट (3)

श्री अजय चंद्राकर, सदस्य, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

सदन का यह मत है कि "राज्य में नशामुक्त केन्द्र खोलने एवं उसका पुनर्वास और कौशल उन्नयन कर प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाय।"

रायपुर,
दिनांक 5 मार्च, 2020

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा